



भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान

विधि महाविद्यालय मार्ग, पुणे-411004

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्थान
(सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक सोसायटी)

सं. विज्ञापन 2025/01/

वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 में सहायक निदेशक (राजभाषा) (अनारक्षित) के नियमित पद को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिनकी अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। विस्तृत विज्ञापन संस्थान की वेबसाइट www.ftii.ac.in/vacancies पर उपलब्ध है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 45 दिनों के भीतर दस्तावेजों की प्रतियों के साथ आवेदन शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कुलसचिव
भा.फ़ि.टे.सं., पुणे

सहायक निदेशक (राजभाषा) (अनारक्षित) पद के लिए विज्ञापन

निम्नलिखित विवरण के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर -10 में सहायक निदेशक (राजभाषा) (अनारक्षित) के नियमित पद के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

1. योग्यता और अनुभव:

(क) आवश्यक:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष पदवी स्तर , विषय के रूप में क्रमशः अंग्रेजी या हिन्दी

अथवा

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में हिन्दी माध्यम और अंग्रेजी एक विषय के रूप में या अंग्रेजी माध्यम और हिन्दी एक विषय के रूप में डिग्री स्तर पर स्नातकोत्तर डिग्री या उसके समकक्ष

अथवा

(i) डिग्री स्तर पर विषय के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी के साथ किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री या उसके समकक्ष

के साथ

(ii) 5 वर्ष का हिन्दी में शब्दावली कार्य का अनुभव और या अंग्रेजी से हिन्दी में या इसके विपरीत / में अध्यापन अनुवाद कार्य विशेषतः तकनीकी या पाँच वर्षों का वैज्ञानिक साहित्य या हिन्दी, शोध लेखन या पत्रकारिता का अनुभव

टिप्पणी : अच्छी तरह से योग्य उम्मीदवार के मामले में योग्यता और अनुभव में छूट दी जायेगी ।

वांछनीय संस्कृत और या आधुनिक भाषा का ज्ञान :

I. प्रशासनिक अनुभव

II. नोटिंग और ड्राफ्टिंग के लिए कक्षाएं आयोजित करने का अनुभव

1.1 शैक्षिक योग्यता के संबंध में, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से डिग्री या समकक्ष योग्यता आवेदन की अंतिम तिथि से पहले प्राप्त होनी चाहिए।

1.2 भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय) की दिनांक 10.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार, संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थानों और संसद के अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों द्वारा शिक्षा के मुक्त और दूरस्थ माध्यम से प्रदान की गई सभी डिग्री /डिप्लोमा/प्रमाण

पत्र केंद्र सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में रोजगार के उद्देश्य से स्वतः मान्यता प्राप्त हैं, बशर्ते कि उन्हें दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो। तदनुसार, जब तक ऐसी डिग्रियां उस प्रासंगिक अवधि के लिए मान्यता प्राप्त नहीं होती हैं जब उम्मीदवारों ने योग्यता हासिल की है, उन्हें शैक्षिक योग्यता के उद्देश्य से स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रदान की गई ऐसी डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र रखने वाले ऐसे उम्मीदवारों के मामले में, ऐसे उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रासंगिक अवधि के लिए दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय को दिए गए अनुमोदन को भी प्रस्तुत करना होगा।

- 1.3 यूजीसी(ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग) विनियम 2017 के अनुसार , 23.06.2017 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित में भाग -III (8) (v) के अंतर्गत , इंजीनियरिंग, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग, फार्मेसी, वास्तुकला और फिजियोथेरेपी आदि कार्यक्रमों को ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के अंतर्गत प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है। तथापि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.03.2019 के एमए संख्या 3092/2018 में डब्ल्यूपी (सी) संख्या 382/2018 में मुकुल कुमार शर्मा और अन्य बनाम एआईसीटीई और अन्य शीर्षक से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दि.11.03.2019 के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2009-10 तक नामांकित छात्रों को इग्नू द्वारा प्रदान की गई इंजीनियरिंग में बी.टेक डिग्री/डिप्लोमा/ को जहाँ भी लागू हो , वैध माना जाएगा।
- 1.4 साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले सभी उम्मीदवारों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित तिथि पर या उससे पहले प्राप्त करने के प्रमाण के रूप में स्नातक अनंतिम प्रमाण पत्र / स्नातकोत्तर डिग्री के सभी सत्रों की मार्कशीट (अंकपत्र) जैसे प्रासंगिक प्रमाण पत्र करने की आवश्यकता होगी।
- 1.5 पद के लिए अनुभव को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पदवीप्रमाण पत्र/पदविका/ के बाद ही गिना जाएगा ।
- 1.6 आवेदकों को पद की आवश्यक आवश्यकताओं और विज्ञापन में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करना होगा। उन्हें सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले वे स्वयं को संतुष्ट कर लें कि उनके पास पद के लिए निर्धारित कम से कम आवश्यक योग्यताएं हैं। पात्रता के बारे में सलाह मांगने वाली किसी भी जांच पर विचार नहीं किया जाएगा।

- 1.7 निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं न्यूनतम हैं और केवल उनके होने से ही उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अधिकार नहीं है। इसलिए, उम्मीदवार को न्यूनतम योग्यता के अलावा संबंधित क्षेत्र में अपनी सभी योग्यताओं और अनुभव का उल्लेख करना चाहिए।

2. आवेदन शुल्क:

- 2.1 इस पद के लिए आवेदन शुल्क 1,000/- रुपये है, जिसे एसबी कलेक्ट पोर्टल के माध्यम से "एफटीआईआई में ग्रुप ए पदों के लिए आवेदन शुल्क (ए/01/2025)" के अंतर्गत जमा करनी है।
- 2.2 नकद, डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर, चेक आदि के द्वारा भेजे गई रकम स्वीकार नहीं की जाएगी।
- 2.3 महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) तथा दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।
- 2.4 सामान्य (यूआर), ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को कोई शुल्क छूट उपलब्ध नहीं है तथा उन्हें पूर्ण निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
- 2.5 जिन उम्मीदवारों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं मिली है, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका शुल्क भा.फ़ि.टे.सं. के पास जमा हो गया है। निर्धारित शुल्क के बिना आवेदन या नियत तिथि के बाद प्राप्त शुल्क पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। इस तरह की अस्वीकृति के विरुद्ध विचार करने या किसी भी प्रतिवेदन के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 2.6 एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही शुल्क को किसी अन्य चयन या पाठ्यक्रम आदि के लिए आरक्षित रखा जा सकता है।

3. आवेदन शुल्क का भुगतान कैसे करें?

3.1 लिंक पर क्लिक करें <https://www.onlinesbi.com/sbicollect/icollecthome.htm> अथवा www.onlinesbi.com पर जाएँ और आगे "एसबी कलेक्ट" पर क्लिक करें जो ऊपर बाईं ओर, लंबवत 06 बाएं से दाएं है।

3.2 "प्रयुक्त शर्तें" पढ़ें, फिर 'चेक बॉक्स' पर टिक/क्लिक करें और आगे "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें।

3.3 स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट/इंस्टीट्यूशन में **ऑल इंडिया** का चयन करें, फिर कॉर्पोरेट/संस्थान के प्रकार में **शैक्षणिक संस्थानों** का चयन करें और **गो पर क्लिक करें।**

3.4 शैक्षिक संस्थानों के नाम में **एफटीआईआई फीस खाता** खोजें और सबमिट पर क्लिक करें।

3.5 भुगतान श्रेणी में **"एफटीआईआई में ग्रुप ए पद के लिए आवेदन शुल्क (ए/01/2025)"** चुनें।

3.6 अपेक्षित विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें और भुगतान के लिए आगे बढ़ें।

3.7 रु. 1,000/- का आवश्यक भुगतान करें।

3.8 एक बार भुगतान हो जाने के बाद, कृपया "एसबीकलेक्ट संदर्भ संख्या अर्थात् डीयू नंबर" (भुगतान पुष्टिकरण रसीद में उल्लिखित) पर ध्यान दें। यह भविष्य के संदर्भ के साथ-साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आवश्यक हो सकता है।

3.9 भुगतान की रसीद को डिजिटल रूप से संग्रहीत करें। यह निम्नलिखित तरीकों में से एक में किया जा सकता है;

- (i) भुगतान की रसीद का प्रिंटआउट लेकर, स्कैन करके सेव (save) करें
- (ii) भुगतान का स्क्रीनशॉट लेकर (यदि मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं) या प्रिंट स्क्रीन (यदि कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं)
- (iii) केवल मोबाइल से एक फोटो लेकर

3.10 नियम और शर्तें: आवेदन पत्र में नियम और शर्तों से सहमत होकर, आवेदक पुष्टि कर रहे हैं कि उन्होंने वेबसाइट पर विज्ञापन की विषय-वस्तु को पढ़ा और समझ लिया है तथा वे आवेदन करने के पात्र हैं और आवेदित पद के लिए विज्ञापन में बताई गई सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

4. आरक्षण:

4.1 सहायक निदेशक (राजभाषा) का पद अनारक्षित है। हालांकि , अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल /ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने पर कोई रोक नहीं है ,बशर्ते ऐसे उम्मीदवार पात्रता मानदंड को पूरा करते हों।

5. रियायतें और छूट:

5.1 आयु में छूट समय-समय पर लागू भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) / पूर्व सैनिकों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रदान की जाएगी। आयु के संबंध में उचित छूट भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार अनुसूचित जाति /

अनुसूचित जनजाति / ओबीसी उम्मीदवारों को दी जाएगी, केवल ऐसी श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध और केवल इस भर्ती की सूचना के जारी होने की तारीख से पहले जारी किए गए वैध समुदाय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दावा किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में अनारक्षित पद / रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले एससी / एसटी / ओबीसी उम्मीदवारों के लिए कोई आयु छूट उपलब्ध नहीं होगी।

5.2 बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए, आयु में 10 वर्ष की छूट (एससी/एसटी के लिए 15 वर्ष और ओबीसी के लिए 13 वर्ष) स्वीकार्य होगी, भले ही पद पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित हो या नहीं, भले ही पद दिव्यांग की प्रासंगिक श्रेणी के लिए उपयुक्त पहचाना गया हो और आवेदक की आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5.3 ईसीओ/एसएससीओ सहित पूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में सरकार द्वारा निर्धारित अन्य नियमों और शर्तों के अधीन पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।

5.4 केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 5 वर्ष तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाती है। अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट मिलेगी, जिसमें उनकी संबंधित श्रेणियों के लिए 5 वर्ष की छूट शामिल है। इसी तरह, ओबीसी उम्मीदवारों को अधिकतम 8 वर्ष तक का समय मिलेगा, जिसमें ओबीसी श्रेणी के लिए 3 वर्ष की आयु छूट शामिल है। यह छूट उन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी जिन्होंने केंद्र सरकार में 3 वर्ष की निरंतर सेवा की है और जो समान कैडर के पदों पर कार्य कर रहे हैं उनके लिए स्वीकार्य होगी। और जहां एक संबंध स्थापित किया जा सकता है कि उस विशेष पद पर पहले से प्रदान की गई सेवा उस पद के कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के लिए उपयोगी होगी जिस पद पर भर्ती की जा रही है। इस संबंध में निर्णय भा.फ़ि.टे.सं. के पास होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी की श्रेणी से संबंधित होने का दावा करने वाले उम्मीदवार और इस प्रकार आयु में छूट की मांग करने वाले उम्मीदवारों को कार्यालय लेटर हेड पर अपने नियोक्ता से विज्ञापन की तारीख के बाद का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह नियमित रूप से नियुक्त केंद्र सरकार का कर्मचारी है और न कि आकस्मिक / तदर्थ / दैनिक वेतन / घंटा भुगतान / अनुबंध के आधार पर कर्मचारी है।

5.5 यदि कोई विकलांग व्यक्ति केंद्र सरकार का कर्मचारी होने के कारण आयु सीमा में छूट का हकदार है, तो उसे या तो रियायत या तो विकलांग व्यक्ति के रूप में या 'केंद्र सरकार के कर्मचारी' के रूप में, जो भी उसके लिए अधिक लाभकारी हो, स्वीकार्य होगी।

5.6 केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों/उपक्रमों या केंद्र सरकार की सोसायटियों के कर्मचारियों और भा.फ़ि.टे.सं. के नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में नियमों के अनुसार छूट दी गई है।

6. यात्रा भत्ता:

साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कोई टीए/डीए या कोई अन्य व्यय का भुगतान या प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

तथापि, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का प्रमाण प्रस्तुत करने और यात्रा टिकटों की फोटोकॉपी प्रस्तुत करने पर साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को उनके निवास स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन से साक्षात्कार स्थल तक सबसे छोटे मार्ग से

एकल द्वितीय का श्रेणी रेलवे किराया दिया जाएगा या जहां से उन्होंने ने वास्तव में यात्रा की हो ,जो भी साक्षात्कार स्थल के समीप हो ,और उसी स्टेशन पर वापस आने के लिए या उम्मीदवार द्वारा वास्तव में खर्च किए गए रेलवे किराए की राशि जो भी कम हो ।

7. आवेदन कैसे करें:

7.1 आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवारों को [6uUKAouXdhoTtAv3D/gle.forms//:https](https://6uUKAouXdhoTtAv3D/gle.forms/) पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना चाहिए । आवेदन के अन्य माध्यम या ऑफ़लाइन आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे ।

7.2 आवेदकों को यह सुनिश्चित करने के बाद ही आवेदन पत्र भरना चाहिए कि वे जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके लिए सभी आवश्यक योग्यताएं ,व्यावसायिक अनुभव और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

7.3 उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरणों को ध्यान से भरना चाहिए और जहां भी पूछा / आवश्यक हो, आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें।

7.4 उम्मीदवारों को अपलोड करना होगा:

7.4.1. आवेदन में आवेदक द्वारा किए गए सभी दावों के समर्थन में दस्तावेज/प्रमाण पत्र जैसे, जन्म तिथि, आवश्यक योग्यता, अनुभव आदि या कोई अन्य जानकारी, पीडीएफ फाइल में प्रत्येक दावे के लिए अलग से रखें इस तरह से कि फ़ाइल का आकार प्रत्येक दस्तावेज 1 एमबी से अधिक न हो और प्रिंटआउट लेने पर सुपाठ्य हो। उस उद्देश्य के लिए, आवेदक 200 डीपीआई ग्रे स्केल में दस्तावेजों / प्रमाणपत्रों को स्कैन कर सकता है।

7.4.2 मैट्रिकुलेशन / 10वीं कक्षा या समकक्ष प्रमाणपत्र जिसमें जन्मतिथि दर्शाई गई हो अथवा केन्द्रीय/राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन / 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष मार्कशीट जिसमें आयु के दावे के समर्थन में जन्मतिथि दर्शाई गई हो ।

7.4.3 यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की आवश्यकता के अनुसार किसी विशेष योग्यता का समकक्ष योग्यता के रूप में दावा कर रहा है तो दावा की गई समकक्ष शैक्षिक योग्यताओं के संबंध में आदेश/पत्र, जिसमें उस प्राधिकारी (संख्या और तारीख सहित) का उल्लेख हो, जिसके अंतर्गत उसे अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष खंड के संबंध में, ऐसा माना गया है ।

7.4.4 दावा किए गए संपूर्ण अनुभव के लिए अनुभव प्रमाण पत्र जिसमें, स्पष्ट रूप से धारित पद का उल्लेख करते हुए, रोजगार / संलग्नता की अवधि (दिनांक, महीना और वर्ष), पद / पदों में किए गए कार्य की प्रकृति तथा पद / पदों में प्राप्त अनुभव तथा अवधि का उल्लेख हों ।

7.4.5 सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रोफार्मा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल के रूप में आयु में छूट चाहने वाले उम्मीदवार द्वारा जाति प्रमाण पत्र स्पष्ट रूप से उम्मीदवार की जाति, अधिनियम / आदेश जिसके अंतर्गत जाति को एससी / एसटी / ओबीसी-एनसीएल के रूप में मान्यता दी गई है , और वह उम्मीदवार सामान्यतः जिस गांव / शहर का निवासी है उसका उल्लेख हो।

7.4.6 मेडिकल फिटनेस के निर्धारित मानकों के आधार पर पद पर नियुक्ति के लिए पात्र बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रोफार्मा में विकलांगता का प्रमाण पत्र। विकलांगता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित एक चिकित्सा बोर्ड होगा। केन्द्र/राज्य सरकार चिकित्सा बोर्ड (बोर्डों) का गठन कर सकती है जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे जिनमें से कम से कम एक व्यक्ति लोकोमोटर/संवेद्य/दृश्य/श्रवण विकलांगता का मूल्यांकन करने के लिए विशेष क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा, जैसा भी मामला हो।

7.4.7 वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र।

7.4.8 किए गए किसी अन्य दावे (दावे) के लिए दस्तावेजी समर्थन।

7.5 ऑनलाइन आवेदन पत्र में, उम्मीदवारों को जेपीजी / जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए गए रंगीन पासपोर्ट आकार की तस्वीर और हस्ताक्षर अपलोड करना भी आवश्यक है। फोटोग्राफ आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से तीन महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ का छवि आकार लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊँचाई) होना चाहिए। फोटो बिना टोपी, चश्मे के होनी चाहिए और चेहरे का ललाट दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार द्वारा उचित तस्वीर अपलोड नहीं की जाती है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। जहां तक हस्ताक्षर का संबंध है, आवेदक को नीले या काले रंग की स्याही/जेल पेन से सफेद कागज पर हस्ताक्षर करना होगा। हस्ताक्षर की छवि का आकार लगभग 6 सेमी (चौड़ाई) x 2 सेमी (ऊँचाई) होना चाहिए।

7.6 यदि प्रस्तुत कोई दस्तावेज/प्रमाणपत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित उसकी प्रतिलिपि अपलोड की जानी है।

7.7 ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय 27.05.2025 है।

7.8 आवेदकों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले से ही भुगतान कर दें तथा ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें ताकि अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यधिक लोड के कारण कनेक्शन काटने / प्रक्रिया करने में असमर्थता की संभावना से बचा जा सके।

7.9 उपर्युक्त कारणों से अथवा भा.फ़ि.टे.सं. के नियंत्रण से बाहर किसी अन्य कारण से अंतिम तारीख के भीतर अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए भा.फ़ि.टे.सं. जिम्मेदार नहीं होगा।

8. सामान्य निर्देश:

8.1 सरकार का लक्ष्य महिलाओं और विकलांग उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करने के लिए लिंग-संतुलित कार्यबल बनाना है।

8.2 आवेदन करने वाले आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं और सभी चरणों में उनकी स्थिति पूरी तरह से अंतिम होगी, बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। साक्षात्कार से पहले या बाद में किसी भी समय यदि यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी को पूरा नहीं करते हैं, तो उनकी उम्मीदवारी भा.फ़ि.टे.सं. द्वारा रद्द कर दी जाएगी।

8.3 सरकारी/अर्ध-सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में कार्यरत आवेदकों को अपने नियोक्ता से (आवेदन के समय) "अनापत्ति प्रमाणपत्र" की प्रति अपलोड करनी चाहिए।

8.4 ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा भरी गई जन्म तिथि और मैट्रिकुलेशन / माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र में दर्ज की गई जन्मतिथि को भा.फ़ि.टे.सं. द्वारा आयु निर्धारित करने के लिए स्वीकार किया जाएगा और परिवर्तन के लिए किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा अथवा बाद में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8.5 आवेदकों को मैट्रिक प्रमाणपत्र में दिए गए अनुसार ही अपना नाम, जन्मतिथि, पिता/माता का नाम लिखना होगा अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय या जब कभी भा.फ़ि.टे.सं. के संज्ञान में आएगी उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

8.6 अस्पष्ट/धुंधले फोटोग्राफ/हस्ताक्षर वाले आवेदनों को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

8.7 हर मामले में सभी आवेदकों की पात्रता हर दृष्टि से निर्धारित तिथि ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की लिए निर्धारित अंतिम तिथि होगी।

8.8 ऊपर बताई गई निर्धारित तिथि ओबीसी-एनसीएल प्रमाणपत्र के लिए समान होगी। इस प्रकार, ओबीसी-एनसीएल के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले आवेदकों के पास निर्धारित तिथि तक वैध ओबीसी-एनसीएल प्रमाण पत्र होना चाहिए और उक्त प्रमाण पत्र को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, दस्तावेज सत्यापन के समय उक्त संलग्न प्रमाण पत्र का मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। उपरोक्त शर्तों का पालन न करने पर आवेदक ओबीसी-एनसीएल आरक्षण के खिलाफ अपना दावा खो देगा।

8.9 आवेदक यह भी ध्यान रखें कि उनकी उम्मीदवारी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की सत्यता सत्यापित होने तक अनंतिम रहेगी। आवेदकों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे धोखाधड़ी से एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी/ईएसएम का दर्जा प्राप्त करते हैं या कोई अन्य लाभ प्राप्त करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

8.10 यदि दस्तावेज सत्यापन के समय दस्तावेजों की जांच के दौरान कोई जानकारी या दावा प्रमाणित नहीं पाया जाता है / आवश्यकता के अनुसार नहीं पाया जाता है, तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इस संबंध में भा.फ़ि.टे.सं.का निर्णय अंतिम होगा।

8.11 पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, गलत सूचना के लिए दंड और भर्ती प्रक्रिया के संचालन से संबंधित अन्य सभी मामलों में भा.फ़ि.टे.सं. का निर्णय अंतिम और आवेदकों पर बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी भी प्रकार की पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

8.12 किसी पद (पदों) के लिए आवेदनों की संख्या अधिक होने की स्थिति में, भा.फ़ि.टे.सं. साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले आवेदकों की संख्या निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक विधियों द्वारा उचित संख्या तक सीमित करने के लिए को संक्षिप्त सूची मानदंड अपना सकता है।

8.13 वांछनीय योग्यता (डीक्यू) या किसी एक या सभी डीक्यू के आधार पर यदि एक से अधिक डीक्यू निर्धारित किया गया है;

8.13.1 विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम से अधिक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर।

8.13.2 विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम से संबंधित क्षेत्र में उच्च अनुभव के आधार पर।

8.13.3 उन मामलों में भी अनुभव का आह्वान करके जहां आवश्यक योग्यता (ईक्यू) या वांछनीय योग्यता (डीक्यू) के रूप में उल्लिखित कोई अनुभव नहीं है।

8.13.4 अतः आवेदक को न्यूनतम अर्हताओं के अलावा संबंधित क्षेत्र में अपनी सभी अर्हताओं और अनुभव का उल्लेख करना चाहिए।

8.14 साक्षात्कार के लिए तिथि अलग से सूचित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाए उम्मीदवारों के साथ कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

8.15 उम्मीदवारों को केवल उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी और दावे के समर्थन में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर साक्षात्कार के लिए शॉर्ट-लिस्ट किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की जांच केवल तभी की जाएगी जब उम्मीदवार प्रथम दृष्टया ऑनलाइन आवेदन में दावा की गई योग्यता और अनुभव, विज्ञापन की शर्तों और शॉर्टलिस्टिंग के लिए अपनाए गए तौर-तरीकों और मानदंडों के बारे में जानकारी के आधार पर शॉर्टलिस्ट होने के योग्य है। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सबमिट की गई जानकारी सत्य है। यदि दस्तावेज सत्यापन / साक्षात्कार के समय या किसी भी बाद के चरण में, उनके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी या उनके ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा किया गया कोई भी दावा झूठा/भ्रामक पाया जाता है, तो उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

8.16 एक आवेदक जो विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि पर मैट्रिक के बाद नाम में परिवर्तन का दावा करता है, तो उसे निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे: -

8.17 महिलाओं के विवाह के मामले में - पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पति-पत्नी का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति या शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ लेकर पति और पत्नी का शपथ पत्र तथा संयुक्त फोटोग्राफ;

8.17.1 महिलाओं के पुनर्विवाह के मामले में - पहले पति या पत्नी के संबंध में तलाक विलेख/मृत्यु प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो; तथा वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पति या पत्नी का नाम हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति या पति और पत्नी का शपथ पत्र, शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ली गई संयुक्त फोटोग्राफ।

8.17.2 महिलाओं के तलाक के मामले में - शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ लेकर तलाक डिक्री और डीड / शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति।

8.17.3 अन्य परिस्थितियों में, पुरुष और महिला दोनों के लिए नाम परिवर्तन के लिए शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण पत्र/ शपथ पत्र तथा दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों की मूल कटिंग (एक दैनिक समाचार पत्र आवेदक के स्थायी और वर्तमान पते या उसके आस-पास के क्षेत्र का होना चाहिए) और राजपत्र अधिसूचना।

8.18 सभी लागू छूटों/रियायतों आदि को लागू करने के बाद, आवेदक की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित तिथि (ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि) के अनुसार 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

8.19 विज्ञापन अंग्रेजी और हिंदी दोनों में प्रकाशित किया जा सकता है। किसी भी विवाद के मामले में, अंग्रेजी संस्करण प्रबल होगा।

8.20 भा.फ़ि.टे.सं. बिना कोई कारण बताए विज्ञापित पद को भरने या न भरने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

8.21 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती के संबंध में किसी भी संचार/शुद्धिपत्र के लिए संस्थान की वेबसाइट अर्थात् ftii.ac.in की जांच करें। इसके अलावा, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करने के लिए अपने पंजीकृत ईमेल की जांच करनी चाहिए कि भर्ती के बारे में कोई संचार छूट न जाए।

8.22 इस भर्ती से संबंधित या अन्यथा किसी भी मामले के संबंध में कोई भी विवाद अकेले पुणे या मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

9. मोटे तौर पर, उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेजों / छवियों की प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी:

9.1 मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक प्रमाण पत्र।

9.2 शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र।

9.3 अनुभव प्रमाण पत्र और नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र।

- 9.4 जाति श्रेणी प्रमाण पत्र, निर्धारित प्रारूप में, यदि आरक्षित से संबंधित है श्रेणियाँ।
- 9.5 ओबीसी-एनसीएल आवेदक द्वारा स्व घोषणा।
- 9.6 मानक विकलांगता प्रमाण पत्र प्रारूप, यदि लागू हो।
- 9.7 प्रासंगिक प्रमाण पत्र यदि किसी भी आयु छूट की मांग कर रहे हैं, यदि लागू हो।
- 9.8 नाम में परिवर्तन का दावा करने वाले उम्मीदवार द्वारा सहायक दस्तावेज शादी या पुनर्विवाह या तलाक आदि पर मैट्रिक के बाद।
- 9.9 एसबीआई-कलेक्ट भुगतान पोर्टल रसीद (आवेदन शुल्क), यदि लागू हो
- 9.10 हाल ही में रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो
- 9.11 हस्ताक्षर की छवि
- 9.12 आवेदक कृपया किसी अन्य अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता के लिए इस विस्तृत विज्ञापन को ध्यान से पढ़ सकते हैं

कुलसचिव ,भा.फ़ि.टे.सं.